International Journal of Sanskrit Research 2015; 1(3): 47-49

International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519
IJSR 2015; 1(2): 47-49
© 2015 IJSR
www.sanskritjournal.com
Received: 10-01-2015
Accepted: 05-02-2015

**डा. प्रवीण बाला**
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (तदर्थ) भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय

**Correspondence**
**डा. प्रवीण बाला**
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (तदर्थ) भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय

# छत्तीसगढ़ के अभिलेखों में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति

## प्रवीण बाला

भारतीय संघ के 26वें राज्य के रूप में 1 नवम्बर 2000 को मध्यप्रदेश राज्य से पृथक् एवं स्वतंत्रता भौगोलिक इकाई के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का अभ्युदय हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य मात्रा एक भौगोलिक इकाई ही नहीं है, अपितु एक विचारधारा, एक जीवन शैली, एक चिन्तन परम्परा, एक उदात्त भावना की विराट अनुभूति भी है। यह भारत की उत्तर एवं दक्षिण की संस्कृतियों का मंजुल संगम है। छत्तीसगढ़ राज्य को जानने के लिए, उसकी उदात्त आत्मा एवं उसकी विशालता को जानना होगा जो अपने अन्दर विविधता में एकता और वैचारिक सहिष्णुता की मिसाल है।
प्राचीन भारतीय साहित्य तथा छत्तीसगढ़ के अभिलेखों कें विवरणों से ज्ञात होता है कि यहाँ के समाज में स्त्री के विभिन्न रूप मिलते हैं यथा पुत्री, पत्नी तथा माता तथा इसके साथ–साथ विधवा, सती तथा देवदासी आदि छत्तीसगढ़ के लेखों में इन सभी रूपों में स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान मिलता है।

**पुत्री के रूप में** – समाज में स्त्री का प्रथम स्थान पुत्री के रूप से प्रारम्भ होता है। समाज में माता एवं पिता के लिए अच्छी पुत्री होना गौरव का प्रतीक मानी जाती थी। समाज में पुत्री दो कुलों को जोड़ती थी एक पितृगृह तथा पतिग्रह इस दृष्टि से भी पुत्री का सम्मानजनक स्थान था उदाहरणस्वरूप पृथ्वीदेव द्वितीय के रतनपुर शिलालेख में जगतसिंह की शीलवान पुत्री 'भाषा' का वर्णन मिलता है जिसे कलिकाल में कोई बुराइयाँ छू नहीं सकी थीं उसकी तुलना उस नदी से की गई है जिसने तीनों लोकों को पवित्र किया था।[1] छत्तीसगढ़ में पुत्री का सम्मान पुत्र के समान ही था।

**पत्नी के रूप में**– भारतीय समाज में स्त्रियां गृहीणी तथा गृहस्वामिनी के रूप में अत्यन्त सम्मानित होती रहीं हैं छत्तीसगढ़ के लेखों में भी धर्मपत्नी एवं पतिव्रता पत्नी स्त्री रूप में आदर्श मानी जाती थी उदाहरणतया जाजल्लदेव द्वितीय के मल्लार शिलालेख में कहा गया है कि स्त्रियां अच्छे गुणों के कारण सुंदर प्रतीत होती है।[2] पृथ्वीदेव के कुगदा शिलालेख में कहा है, कि हरिगण की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी और भाग्य देवी ;लक्ष्मीद्ध एवं सती ;पार्वतीद्ध के समान विपुल वैभव के बीच रहकर भी अपने पतिगृह के सभी कार्यों में विराजमान रहती थी।[3] जाजल्लदेव प्रथम के रतनपुर शिलालेख में रानी राजल्लादेवी को लक्ष्मी के समान अपने पति प्रेम में संलग्न रहनेवाली तथा प्रसन्न मुद्रा के कारण पत्नी के रूप में वे देवी पार्वती के समान थी।[4]
कोसगई शिलालेख में रत्नसेन की पत्नी 'गुण्डायी' को गुणों के अलंकार से शोभित करने वाली कहा है।[5] पृथ्वीदेव द्वितीय के कोनी शिलालेख में निम्बदेव की पत्नी मानों, उसकी अपनी छाया थी तथा सर्वगुण सम्पन्न थी।[6] इसी प्रकार का वर्णन पृथ्वीदेव द्वितीय के राजिम शिलालेख में मिलता है जहाँ ठकुराइी उदया ने अपने परिवार में प्रसन्नता की वृध्दि की थी।[7] पृथ्वीदेव द्वितीय के रतनपुर शिलालेख में रत्नसिंह की शीलवान पत्नी के प्रति उसके सम्बन्धियों ने सदा सम्मान प्रदर्शित किया था।[8] अतः छत्तीसगढ़ में स्त्री की समाज में प्रतिष्ठा थी, ये सुख एवं शान्ति का स्रोत समझी जाती थी।

**माता के रूप** – प्राचीन काल से ही माता का अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान रहा है। स्मृति ग्रन्थ जैसे मनुस्मृति में माता को गुरू मानकर उनकी सर्वोच्चता व्यक्त की गई है।[9] छत्तीसगढ़ के अभिलेखों में भी माता का सम्मानजनक स्थान मिलता है, इसकी पुष्टि महाशिवबालार्जुन के सिरपुर अभिलेख से होती है, उक्त लेख में उक्त है कि उनकी माता 'वासटा' मगध के महान एवं निष्कलंक वर्मा कुल में उत्पन्न सूर्यवर्मा की पुत्री थी। उनका बेटी के रूप में सम्मान तो था ही, इन्हें पत्नी के रूप में भी वैसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त थी। पति की मृत्यु हो जाने पर भी इनके अधिकारो में कमी नहीं आयी थी, इन्हें मंदिर निर्माण तथा ब्राह्मणों को ग्रामदान देने की पूरी स्वतन्त्रता थी।[10] सोढ़देव के कहला ताम्रपत्रा में उल्लेख किया गया है कि गुणसागर द्वितीय की प्रिय पत्नी राजव ने शिवराज नामक पुत्र को जन्म दिया था,

जिसकी प्रतिष्ठा ब्रह्मा के समान थी। इस प्रकार योग्य पुत्रों का लालन–पालन माताओं ने उसी प्रकार किया था जिस प्रकार यशोदा ने कृष्ण का किया था।[11] जाजल्लदेव के रतनपुर शिलालेख में कहा गया है कि जाजल्लदेव द्वारा जब सोमेश्वर को बंदी बना लिया था तब, सोमेश्वर की माता के अनुग्रह करने पर राजा ने सोमेश्वर को बंधन मुक्त कर दिया था।[12] इस प्रकार लेख से विदित होता है कि अपनी माताओं के साथ–साथ अरिकुल की माताओं का भी समाज में सम्मान किया जाता था। विजय सिंह के कुम्भी ताम्रपत्रा में राजमाता गोसलदेवी के विषय में कहा गया है कि जिनका सान्निध्य ही एक श्रेष्ठ कोष था उनकी दृष्टि से अमृत की वर्षा होती है और जिनकी वाणी इच्छापूर्ति के निमित्त मणि स्वरूप है।[13] अतः छत्तीसगढ़ के लेखों में माँ का स्थान अत्यन्त सम्मानपूर्ण परिलक्षित होता है।

**विधवाओं का समाज में स्थान**– पति की मृत्यु के पश्चात् स्त्रियाँ वैधव्य का जीवन व्यतीत किया करती थी। उन्हें बहुत नियम, संयम तथा साध्वी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था तथा उसे किसी प्रकार का श्रृंगार करने की अनुमति नहीं दी जाती थी इस प्रकार का वर्णन पृथ्वीदेव के रतनपुर शिलालेख से प्राप्त होता है जिसमें – ब्रह्मदेव ने ''शत्रु पत्नियों के बालों के बीच से विभाजित सीमान्त रेखा को उसी प्रकार अपने खड्ग से काट दिया था जैसे कि बादल ने चन्द्रमा को ढंक दिया हो अर्थात् जिस प्रकार चन्द्रमा बादलों में नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार शत्रु स्त्रियों की मांग बिना प्रसाधन के सूनी हो गयी थी।[14] महाशिव बालार्जुन के सिरपुर शिलालेख से ज्ञात होता है कि महारानी वासटा के पति का स्वर्गवास हो जाने पर सदावृत उपवास कर दुर्बल हो जाने पर भी आत्मसंयम के श्रृंगार से विभूषित होने का उल्लेख मिलता है किन्तु पति की मृत्यु के बाद भी माता पुत्र के मार्गदर्शन का कार्य किया करती थी।[15] अतः छत्तीसगढ़ के लेखों के विवरण से स्पष्ट होता है कि विधवाओं को आत्मसंयम से जीवन व्यतीत करना होता था विधवा होने पर वे कोई श्रृंगार नहीं करती थी किन्तु समय–समय पर पुत्राों का मार्गदर्शन अवश्य किया करती थीं।

**सती प्रथा**– पति के अस्तित्व से ही पत्नी का अस्तित्व था पति के न रहने पर पत्नी का जीवन निरर्थक होता है। सम्भवतः इसी धरणा ने सती प्रथा को जन्म दिया होगा, निर्ध्न परिवार की स्त्री के सती होने के पीछे भरण–पोषण तथा सतीत्व रक्षण की समस्यायें भी हो सकती थी परन्तु लेखों में इस विषय पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। भारत वर्ष के इतिहास में सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मध्य प्रदेश के एरण से छठी सदी ईसवी का भानुगुप्त द्वितीय का लेख है जिसमें सेनापति गोपराज की एरिकिण प्रदेश में हुए यु( में मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी के सती हो जाने का वर्णन मिलता है।[16] इसी प्रकार छिंदक नागवंशी शासक हरिचन्द्रदेव के टेमरा सती लेख में कहा गया है कि राजा के एकाधिकारी की पत्नी माणिक्य देवी के सती हो जाने की सूचना मिलती है।[17] जाजल्लदेव द्वितीय के शिवरीनारायण लेख से ज्ञात होता कि उल्लहणदेव की मृत्यु के पश्चात् उसकी तीनों पत्नियां सती हो गई थी।[18] इस प्रकार आज भी छत्तीसगढ़ के गांवों में सती चौरां नामक स्थान मिलता है जिसकी स्थानीय लोगों द्वारा पूजा की जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्रा में सती प्रथा का प्रचलन था।

**देवदासी प्रथा**– प्राचीन भारतीय समाज में स्त्री का एक अन्य स्वरूप भी दृष्टिगत होता है जिसे 'देवदासी' कहा जाता था अर्थात् देवताओंकी सेवा करने वाली स्त्रियाँ। यह परम्परा दक्षिण भारत तथा उड़ीसा के मन्दिरों में प्रचलित थी।[19] इस प्रथा के सन्दर्भ में छत्तीसगढ़ से ई.पू. द्वितीय शताब्दी का अभिलेख मिला है, जिसमें देवदासी ''सुतनुका'' तथा उसके प्रेमी 'देवदत्त' का नाम मिलता है।[20] इस लेख में केवल इनका नाम अवश्य दिया गया है किन्तु इसकी स्थिति एवं ये किस वर्ग की थी इस विषय पर अभिलेख की पंक्तियाँ मौन है।

छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर देव के तेलगू शिलालेख मंदिर में 'देवदासी' होने का संकेत मिलता है।[21] अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में देवदासियाँ रहती थी जिस कारण से अभिलेखों में उनका उल्लेख मिलता है। किन्तु इनकी समाज में क्या स्थिति थी इस विषय पर अभिलेखों की पतिफयाँ मौन हैं अतः इस विषय का विस्तार से विवेचन करना सम्भव नहीं है।

**सारांश** अतः उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्रियों की स्थिति सन्तोषजनक थी। इनका पुत्री, पत्नी, माता के रूप में सम्मान था। राजपरिवार की स्त्रियाँ अपने पुत्रों पर अधिकार रखती थी, समय–समय पर उन्हें राजनीतिक गतिवीधियों पर परामर्श भी देती थी। किन्तु इतना होते हुए भी छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्रियों को सती होना पड़ता था। इतना ही नहीं सती स्त्रियों के सम्मान में राज्य के प्रत्येक ग्राम में एक स्तम्भ स्थापित किया जाता था जिसे 'सती चौरा' कहा जाता है। देवदासी प्रथा के अस्तित्व का साक्ष्य मौर्योतर काल का मिलता है, जिसमें सुतनुका देवदासी तथा उसके प्रेमी देवदत्त का नामोल्लेख मिलता है। सम्भव है कि इस समय समाज में इन्हें सम्मान की दृष्टि से देख जाता होगा। अतः छत्तीसगढ़ राज की स्त्रियाँ प्रभूत धन की स्वामी थी इनके द्वारा अनेक कल्याण कारी किये गये जैसे तालाब बनवाना, कुएँ खुदवाना तथा मंदिर निर्माण आदि ।

**सन्दर्भ**


1. वी.वी. मिराशी का.इ.इ., भाग–4, खण्ड–2 क्र 93
   जगत्सिंहोस्थ तनयः सिहवद्भूविराजतेभोपास्य दुहिता साध्वी कलि कालविचेष्टितैः अस्पृष्ट स्वर्दुनीवेयं भुवनत्राय पावनी। पृ. 487
2. वही, क्र 97, श्लोक 35, गुणाभिरामरामेव रम्या'', पृ. 515
3. वही, क्र. 87, श्लोक 8 सर्व्वार्थसंपादि;सतीवद्ध गृहेषु भर्त्तुर्लक्ष्मीरिववास्यवनितावभूव, पृ. 447
4. का.इ.इ., क्र 77, श्लोक 18
   उपयेमे स राजल्लां याकान्त्येवेदुसप्रभालक्ष्मीरिवाच्युत प्रीतिः सौभाग्येन पार्व्वती।। पृ. 413
5. वही, भाग–4, क्र. 105, श्लोक 7
6. रत्नसेनः ... गुण्डायीनाम पत्निगुणलघड्वार भासुरा, पृ. 559–60
7. वही, क्र 90, श्लोक 18,
   रतिरिव शुभमूर्त्यारन्नतीसच्चरित्रैर्न्निनभवनीवभूतेर्द्दोहरंध्र्म्मबुर्(ि अभवदथ समस्तश्रेयसामेकपात्रा निजतनुरिव लखमानामपत्नीतदीया। पृ. 468
8. वही, क्र 88, श्लोक 7, सत्यर्ध्मरताः शान्ता स्वकुलानन्दव(र्नी, पृ. 454
9. वही, क्र 93, श्लोक 12, साध्वी सदाबंध्ुजनाभिपूज्यारम्भेतिनामा(भिवद्रस्य पत्नी, पृ. 486
10. मनुस्मृति – उपाध्यायान् दशाचार्यं आचार्याणां शतंपिता। सहस्रं तु पितृन माता गौरवेण{तिरिच्चियते। 2/145
11. जैन,बी.सी, उत्कीर्ण लेख, पृ. 36
12. का.इ.इ., क्र 74, श्लोक 20, शौरेश्रीरिव रोहिणीव.... शिवराजमात्मजमजप्रख्यं क्षितौ... यौदार्य गुणालयं ललितयापूतं गिरा सत्यता, पृ. 388
13. वही, क्र 77, श्लोक 22, पृ. 413
14. वही, परिशिष्ट, दृष्टिर्यसयाःसुधवृष्टिःसन्निध्श्चि{पिसन्निध्ःवाणीचिन्तामणिः
15. श्रीमन्जीयाद्गोसलदेव्यसौ। पृ. 649
16. क्र 96, श्लोक 12, संग्रामेहतवीरवैरिनिवहैर्द्देवीभवद्भिर्द्दुतंकर्व्वाणायुध्सिेकथांपथिमुहुर्न्ना कौकसां
    सर्ध्ैंताः नाकालघ्वनतोभिरामरमणाः।। पृ. 505
17. ए.पि.इ., भाग 26, पृ. 225
18. फ्लीट, का.इ.इ. भाग 3, ''भक्तानुरक्ता च प्रिया चकान्ता भार्या वलग्नानुगताग्निराशिम्'', पृ. 92

19. एपि .इ., भाग–9, पृ. 39
20. का.इ.इ. खण्ड–4, क्र. 98, श्लोक 33, पृ. 478
21. वही, पृ. 131
22. ओझा, गौरीशंकर, प्राचीन भारतीय अभिलेख, परिशिष्ट पृ. चित्राक
23. हीरालाल, सूची क्र 277

**मूल सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

11. मनुस्मृति गोपालशास्त्रीनेने, संपादक, बनारस, 1935, निर्णय सागर प्रेस, पं. तुलसीराम, दिल्ली

| | |
|---|---|
| Mirashi V.V. | 1. Inscriptions of the Kalachuri Chedi Era. |
| Mirashi V.V. | 2. Cropus Inscriptions Indicarum Vol. in Part-I,II Oatacammand 1955 |
| 3. Hiralal, Rai Bahadur | Inscription in the Central Provinces and Berer, 2nd Edition, Nagpur, 1932 |
| 4. जैन, बी.सी | उत्कीर्ण लेख, रायपुर |
| ओझा, रायबहादुर | भारतीय प्राचीन लिपिमाला–1971 |